संख्या- 23/2020/4179/96-आयुष-2-2020-2(बी)/2020

प्रेषक,

राज कमल यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक 19 नवम्बर, 2020

विषय- प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/पी/19-20/2925, दिनॉक 03-11-2020 एवं पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/पी/19-20/2981, दिनॉक 05-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-6/2020/951/96-आयुष-2-2020, दिनॉक 28 मार्च, 2020 के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यंक विचारोपरान्त प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जाती है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (रू0 लाख में)
1.	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में रैन बसेरा, ओपेन आडिटोरियम हॉल एवं मल्टीलेवल पार्किंग स्थल का निर्माण।	292.64
2.	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के कक्षाओं, प्रयोगशाला एवं लाइब्रेरी का आधुनिक निर्माण कार्य।	382.05
3.	राजकीय पं0 जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर में 05 नग नये लेक्चर थियेटर का निर्माण कार्य।	281.98
4.	राजकीय पं0 जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर में पुरूष छात्रावास, सी0सी0 रोड़, इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य।	405.37
5.	राजकीय पं0 जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य।	221.69

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-6/2020/951/96-आयुष-2-2020, दिनॉक 28 मार्च, 2020 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(राज कमल यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2020/4179(1)/96-आयुष-2-2020 तददिनॉक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
4- प्राचार्य, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ/कानपुर।
5- निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in